जनपद-संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 29-07-2019**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनॉक 29.07.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियो पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी।

नाबालिग से दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 323 / 19 धारा 376 भादवि व 3 / 4 पाक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता सलमान पुत्र मकबूल अहमद निवासी पूरब प्रेहित थाना कलवारी जनपद बस्ती को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 26.07.2019 को वादिनी की पुत्री उम्र करीब 13 वर्ष के साथ दुष्कर्म किया गया था जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा दिनांक 27.07.2019 को थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमे आज दिनांक 29.07.2019 को थाना धनघटा पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- प्रभारी थानाध्यक्ष धनघटा श्री शशिभूषण पाण्डेय मय हमराह।

नाजायज चाकू के साथ शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त इस्तखार पुत्र मो0 अमीन निवासी कर्माखान थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को पड़रिया पुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणःउ0नि0 श्री अनिल कुमार, का0 नन्दकिशोर भारती, का0 मनीष कुमार।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2548 द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 2548 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 11390 से कालर ने मार्ग दुर्घटना मे एक व्यक्ति के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया। इस सूचना पर पीआरवी कर्मियो द्वारा तत्काल 04 मिनट में मौके पर पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति पीआरवी वाहन से इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता, सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाई गयी। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आरक्षी राजकुमार यादव, मु0आ0 जितेन्द्र यादव,हो0चा0 लालू यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 77 वाहनो से 72500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल

आज दिनांक 29-07-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 77 वाहनो से 72500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

शान्ति भंग मे (151/107/116 सीआरपीसी) 19 अभियुक्त गिरफ्तार –

- **दुधारा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।
- **धनघटा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।
- **महुली पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।
- **बखिरा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।
- **मेहदावल पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 29-07-2019 को जनपदीय पुलिस व एण्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 22 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 67 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के 02 लड़को से पूछताछ करने के पश्चात उनके परिजनों के संज्ञान मे लाते हुए माफीनामा प्रस्तुत करने के उपरान्त कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।